ई-मेल- dwojehanabad@gmail.com
dwojehbcebc@gmail.com

# समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला कल्याण शाखा)

दूरभाष सं. -06114-22589

## पुनर्निविदा सूचना (अल्पकालीन)

निविदा सं०– 01/2021–22

वित्तीय वर्ष– 2021–22 के लिए में जहानाबाद जिला अन्तर्गत संचालित बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेदकर आवासीय बालिका +2 विद्यालय, दक्षिणी (काको)/बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, जहानाबाद/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, जहानाबाद एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, जहानाबाद में आउट सोर्सिंग के माध्यम से सुरक्षा प्रहरी (महिला एवं पुरूष), नाईट गार्ड, रसाईया (पुरूष) एवं अनुसेवी–सह–सफाई कर्मी रखा जाना है। इस हेतु कार्यालय निविदा संख्या–03/2020–21 को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। इस हेतु योग्य एजेन्सी/फर्म से पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है। संबंधित वित्तीय/तकनिकी निविदा अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में दिनांक– 9.10.21 को 12:00 बजे अपराह्न तक जिला कल्याण कार्यालय, जहानाबाद में निबंधित डाक/कुरियर/स्वंय अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा उप विकास आयुक्त, जहानाबाद के सभाकक्ष में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

### निविदा की आवश्यक शर्तें :–

#### (क) तकनिकी निविदा

1. संस्थान का पंजीकरण (Registration) श्रम विभाग अथवा उद्योग विभाग में होना चाहिए।
2. सिक्यूरिटी एजेन्सी चलाने हेतु अनुज्ञप्ति/एन.ओ.सी. संबंधित प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए।
3. जी.एस.टी. (G.S.T.) पंजीकरण संबंधी प्रमाण--पत्र, अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी विवरणी, साथ ही, निविदादाता को तीन वर्ष का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदादाता पर फौजदारी/दीवानी मामला में कोई मामला दर्ज नहीं हो एवं काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता के अग्रधन राशि के रूप में मो. ₹30,000.00 (तीस हजार रूपये) मात्र ड्राफ्ट, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद के पदनाम से देय होगा, को जमा करना होगा। अनुमोदित निविदादाता का अग्रधन राशि दर अनुमोदन पश्चात् जमानत राशि के रूप में जमा रहेगा। वैसे निविदादाता जिनका चयन नहीं होगा उनका अग्रधन वापस कर दी जायेगी।
6. निविदादाता को संबंधित कार्य का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।
7. निविदा में संलग्न किये गये सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं पृष्टांकित होने के साथ–साथ पृष्टांकन नीचे से उपर की ओर होना अनिवार्य है।
8. वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

#### (ख) वित्तीय निविदा

1. तकनिकी निविदा में सफल होने के उपरांत ही संबंधित वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।
3. वित्तीय निविदा में अंकित की गई दर जी.एस.टी. (G.S.T.) सहित अंकित करना होगा।



Scanned with CamScanner

4. श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मज़दूरी दर से कम दर (कोटिवार) प्रस्तावित नहीं होगा।

5. निविदा का न्यूनतम दर सभी शुल्को सहित एक मुश्त राशि के रूप में होनी चाहिए।

**(ग) अन्य शर्तें :–**

1. उच्चाधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान एजेन्सी/फर्म द्वारा प्रदत्त सेवा के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इनकी सम्यक समीक्षा कर एजेन्सी/फर्म के साथ किये गये एकरारनामा को समाप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद को सुरक्षित रहेगा। निविदादाताओं में स्वीकृत निविदादाता से 10 (दस) माह के लिए एकरारनामा किया जाएगा। किन्तु उनके कार्य गुणवत्ता/मूल्यांकन संतोषप्रद के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में अनुबंध 10 (दस) माह के लिए विस्तार किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

2. चयनित एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए दर के अधीन ही सभी कर्मियों का मानव संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी राज्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान नियमानुसार नियोक्ता एजेन्सी/फर्म एवं कर्मी पर भारित होगा।

3. चयनित एजेन्सी उपलब्ध कराए गए प्रहरी को निर्धारित ड्रेस कोड में रखेंगे।

4. सेवा प्रदत्ता एजेन्सी/फर्म के कर्मी को ड्यूटी अवधि 08 घंटे के निर्धारित रोस्टर में संशोधन का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद को सुरक्षित रहेगा।

5. बिना कारण बताये सभी निविदाओं अथवा निविदा को आंशिक रूप से स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

6. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र जहानाबाद होगा।

7. कार्यादेश प्राप्त होने के 1 (एक) माह के भीतर सुरक्षा कर्मी के संबंध में निम्न शर्तें अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा संविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(a) सुरक्षा कर्मी द्वारा प्राप्त की गई प्रशिक्षण की संस्था का नाम एवं पूरा पता देना अनिवार्य होगा।

(b) सुरक्षा कर्मी का नाम एवं पूरा पता देना अनिवार्य होगा।

(c) पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

(d) सुरक्षा कर्मी का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. सफाई कर्मी का पूरा नाम एवं पता के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

(a) EPF मद में कटौती की गई राशि का खाता संख्या देना अनिवार्य होगा।

(b) ESIC का खाता संख्या देना अनिवार्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए **www.prdbihar.gov.in** पर सम्पर्क करें।

6.09.21

उप विकास आयुक्त,
जहानाबाद।



Scanned with CamScanner